न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 83/2019

1 सांवरमल पुत्र स्व. बलुन्ताराम जाति मीणा निवासी क्यामसर, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 धुड़ाराम पुत्र हनुमानाराम
2 रामजीलाल पुत्र हनुमानाराम मृतक
2/1 भंवरी देवी पत्नी श्री रामजीलाल
2/2 बीकू देवी पुत्री श्री रामजीलाल
2/3 संजना देवी पुत्री श्री रामजीलाल
2/4 परवीता कुमारी पुत्री श्री रामजीलाल
3 मूलचन्द पुत्र हनुमानाराम
4 महेन्द्र पुत्र तेजाराम
5 अमर सिंह पुत्र तेजाराम
6 रेशम पुत्री तेजाराम
7 प्रेम पुत्री तेजाराम
8 मंजु पुत्री तेजाराम
9 अनिता पत्नी भोलाराम
10 प्रिया पुत्री भोलाराम
11 चावली पत्नी गोदूराम
12 सुरेन्द्र पुत्र गोदूराम
13 सुशीला पुत्री गोदूराम
14 मन्नी पत्नी पितराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

15 रामनिवास पुत्र पितराम
16 सीताराम पुत्र पितराम
17 राजू पुत्र पितराम
18 सुभाष पुत्र पितराम
19 हीरा पुत्री पितराम
20 सुमन पुत्री पितराम
21 नानची पत्नी बिरजू
22 विनोद पुत्र बिरजू
23 मुकेश पुत्र बिरजू
24 निर्मला पुत्री बिरजू
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम क्यामसर, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
25 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955 अपील खिलाफ अन्तिम निर्णय व डिक्री बअदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, जिला झुन्झुनू दावा उनवानी धूड़ाराम वगेरह बनाम चावली वगे. दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 128/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री महेश जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 128/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 ने उपरोक्त दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 13.08.2019 को निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय रूप से जारी की गई। अपीलान्ट की ओर से निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय में साफ साफ लिखा गया है कि प्रतिवादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता को बार बार अवसर देने पर भी प्रतिवादी/अपीलान्ट की ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि निर्णय के द्वितीय पेज पर उपस्थित अधिवक्ता श्री शीशराम बोला एडवोकेट वादीगण एवं श्री हजारीलाल सुनिया एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 11/अपीलान्ट दर्ज किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय में विरोधाभाषी तथ्य दर्ज किये गये है जिससे यह साबित है कि निर्णय में अपीलान्ट को उपस्थित दर्ज कराते हुये भी एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की गई है। आदेशिका के अनुसार दिनांक 03.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किशोरपुरा में उपरोक्त दावा को खारिज कर दिया गया। जिस पर वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2017 को प्रस्तुत दिनांक 06.09.2017 को प्रस्तुत करने पर दावा का पुनः रिकार्ड पर लिया गया और तनकीयात हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.09.2017 दी गई। उक्त पत्रावली को पुनः रिकार्ड कर लिये जाने के आदेश के बाद दावा के प्रतिवादीगण को नोटिस जारी नही किये गये जो कानूनन आवश्यक थे। इस कारण दावा का निर्णय एकपक्षीय किया गया। इससे अपीलान्ट की हकतलफी हुई है क्योंकि अगर अपीलान्ट को नोटिस मिलता तो अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से जिरह की जाती तथा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर मिलता जिससे पत्रावली पर न्याय संगत निर्णय होता। अपीलान्ट को कैवियट प्राप्त हुई तब दावा डिक्री होने बाबत पता चला। बंटवारा के दावा में प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त उक्त डिक्री के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के बाद अन्तिम डिक्री पारित की जाती है जबकि वर्तमान दावा में प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की गई। इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के बयान भी दर्ज नहीं किये है तथा ना ही अपीलान्ट का साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है, ना ही वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 से जिरह करने का अवसर दिया गया है। आदेशिका के अनुसार दिनांक 23.07.2019 को पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्व. मंगलाराम के शेष रहे विधिक वारिसान को पक्षकारान बनाया गया इस बाबत भी कोई नोटिस/सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई जो कि कानून आवश्यक था। इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 निरस्त होने योग्य है। मीणा जाति पर उत्तराधिकार अधिनियम तथा हिन्दू कानून प्रभावी नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर निर्णय व डिक्री जेर बहस पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं हैं। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रभावी हुआ उक्त अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो भी काबिज कृषक था वह स्वतः ही खातेदार हो गया वादग्रस्त जमीन गत खसरा नम्बर 87 रकबा 10 बीघा 5 बिश्वा की जमाबन्दी संवत 2012 में उक्त जमीन उक्त मंगलाराम की खातेदारी में दर्ज है तथा उपकृषक के में मंगलाराम के पुत्र जगूराम के नाम दर्ज है। उपकृषक के रूप में उक्त जग के हक में खातेदारी अधिकारों का सृजनउ क्त अधिनियम के समय हुआ। उक्त जगूराम उक्तानुसार मंगलाराम का पुत्र होने से वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 11 का रक्त संबंधि हुआ। संवत 2024 से 2027 जमाबन्दी में उक्त जमीन गत खसरा नम्बर 87 रकबा 10 बीघा 5 बिश्वा उक्त जगूराम पुत्र मंगलाराम की एकल खातेदारी में दर्ज हुई। जगूराम का देहान्त होने के बाद उक्त जमीन जगूराम के पुत्र रामस्वरूप की एकल खातेदारी में दर्ज हुई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 तक व आगे का समस्त राजस्व रिकार्ड में उक्त जमीन गत खसरा नम्बर 87 रकबा 10 बीघा 5 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 63 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 1.88 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.07 हैक्टेयर उक्त रामस्वरूप पुत्र जगूराम की खातेदारी में दर्ज है। उक्त रामस्वरूप पुत्र जगू जो अविवाहित था तथा जिसका अविवाहित अवस्था में ही देहान्त हो चुका है उक्त रामस्वरूप ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया। उसका विवाहित ही दिनांक 25.03.2014 को देहान्त हो चुका है। कानूनन अविवाहित नाऔलाद अवस्था में किसी व्यक्ति का देहान्त होने की अवस्था में अथवा ऐसे व्यक्ति का कोई वारिसान न होने की अवस्था में अथवा ऐसे व्यक्ति का निर्वसीयती अवस्था में देहान्त हो जाने की अवस्था में उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका अचल सम्पतियों में हिस्सा ऐसी अचल सम्पति के अन्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

प्रथम श्रेणी के अन्य हिस्सेदारान में बराबर–बराबर बंट जायेगा अर्थात उसका हिस्सेदार के मध्य मर्ज हो जायेगा। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 11 उक्तानुसार उक्त मृतक खातेदार रामस्वरूप पुत्र जगू के निकटतम रिश्तेदार रक्त संबंधी होने से उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त रामस्वरूप के देहान्त के बाद उक्त जमीन गत खसरा नम्बर 87 रकबा 10 बीघा 5 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 63 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 1.88 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.07 हैक्टेयर का फौतगी इन्तकाल अपने नाम से व राजस्व रिकार्ड में उक्त रामस्वरूप के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने व तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय को निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता को बार बार अवसर देने पर भी प्रतिवादी/अपीलान्ट की ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि निर्णय के द्वितीय पेज पर उपस्थित अधिवक्ता श्री शीशराम बोला एडवोकेट वादीगण एवं श्री हजारीलाल सुनिया एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 11/अपीलान्ट दर्ज किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय में विरोधाभाषी तथ्य दर्ज किये गये है जिससे यह साबित है कि निर्णय में अपीलान्ट को उपस्थित दर्ज कराते हुये भी एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की गई है। आदेशिका के अनुसार दिनांक 03.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प किशोरपुरा में उपरोक्त दावा को खारिज कर दिया गया। जिस पर वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2017 को प्रस्तुत दिनांक 06.09.2017 को प्रस्तुत करने पर दावा का पुनः रिकार्ड पर लिया गया और तनकीयात हेतु आगामी तारीख पेशी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

दिनांक 22.09.2017 दी गई। उक्त पत्रावली को पुनः रिकार्ड कर लिये जाने के आदेश के बाद दावा के प्रतिवादीगण को नोटिस जारी नही किये गये जो कानूनन आवश्यक थे अगर अपीलान्ट को नोटिस मिलता तो अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से जिरह की जाती तथा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर मिलता तो पत्रावली पर न्याय संगत निर्णय होता। बंटवारा के दावा में प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त उक्त डिक्री के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के बाद अन्तिम डिक्री पारित की जाती है जबकि वर्तमान दावा में प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की गई। इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के बयान भी दर्ज नहीं किये है तथा ना ही अपीलान्ट का साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है, ना ही वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 से जिरह करने का अवसर दिया गया है। आदेशिका के अनुसार दिनांक 23.07.2019 को पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्व. मंगलाराम के शेष रहे विधिक वारिसान को पक्षकारान बनाया गया इस बाबत भी कोई नोटिस/सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई जो कि कानून आवश्यक था। इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 निरस्त होने योग्य है। मीणा जाति पर उत्तराधिकार अधिनियम तथा हिन्दू कानून प्रभावी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)